



दिनांक:- 04.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा शटर फाडकर दुकान में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर नकबजन/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर 3900/- रुपये नकद, 02 पेन्ट की बाल्टी, 06 पेन्ट के डिब्बे, 02 थिनर की बोतल, 01 हथोड़ी, 04 लोहे के पाईप, 07 मीटर काला बिजली का केबल व 02 किलोग्राम तांबे का तार बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 04.11.2024 को वादी श्री सुरेन्द्र मोहन पुत्र फगन सिंह निवासी ग्राम बिन्नाखेडी थाना सरसावा सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.आसिफ पुत्र ईनाम निवासी मौ0 मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर व 2.फिरोज पुत्र नईम निवासी मौ0 मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की दुकान का शटर तोडकर गल्ले से 3900/- रुपये, पेन्ट की बाल्टियां चोरी कर लेने, दुकान में लगा कैमरा व गल्ला को तोड देने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 339/24 धारा 331(4)/305(A)/324(4) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त शटर उखाड़कर दुकान में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर नकबजन/अभियुक्तगण 1. आसिफ पुत्र ईनाम निवासी मौ0 मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर 2.फिरोज पुत्र नईम निवासी मौ0 मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को चोरी गये 3900/- रुपये नकद, 02 पेन्ट की बाल्टी 10 लीटर वाली, 06 पेन्ट के डिब्बे, 02 थिनर की बोतल, 01 हथोड़ी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण की निशादेही पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 277/2024 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी गया बिजली का सामान 04 पाईप लोहे के चौकौने लम्बाई करीब 2.5 फुट, 01 बिजली केबल काला रंग दो कोर लम्बाई करीब 7 मीटर व 02 किलोग्राम तांबे का तार बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 277/24 उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक स्वर में बताया कि हम दोनो दोस्त हैं और एक ही मौहल्ले में रहते हैं तथा नशा करने के आदी हैं। हम लोगो ने रात के समय कस्बे में शान्ति धाम रोड के पास पेंट की दुकान का शटर फाडकर चोरी की थी। आज से लगभग डेढ माह पूर्व हम दोनो ने ग्राम कुम्हारहेडा जंगल में बिडवी मील के पास से एक ट्यूबैल की मोटर का तार कोपर का तथा केविल चोरी की थी। तथा उसके पास ही एक फैक्टरी से एक पुरानी बैल्लिडग मशीन तथा अल्टीनेटर, लोहे के एंगल चोरी किये थे बैल्लिडग मशीन तथा अल्टीनेटर तो हमने राह चलते कबाडी को बेच दिया था उससे जो पैसे मिले थे हम दोनो ने नशा करने में खर्च कर दिये थे तथा कुछ सामान केविल

तार लोहे के एंगल तथा कापर का तार हम दोनो ने कस्बे के पास नकुड रोड पर एक बगिया मे छिपा दिया था । जो आज हम लोगो ने आपको बरामद करा दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. आसिफ पुत्र ईनाम निवासी मौ0 मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. फिरोज पुत्र नईम निवासी मौ0 मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 3900/- रूपये नकद,
- 02 पेन्ट की बाल्टी,
- 06 पेन्ट के डिब्बे,
- 02 थीनर की बोतल,
- 01 हथोडी,
- 04 लोहे के पाईप, 07 मीटर काला बिजली का केबल व 02 किलोग्राम तांबे का तार (सम्बन्धित मु0अ0सं0 277/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सरसावा, सहारनपुर)

अभियुक्त आसिफ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 173/17 धारा 504 भादवि थाना सरसावा
2. मु0अ0सं0 455/19 धारा 8/15 एनपीएस एक्ट थाना सरसावा
3. मु0अ0सं0 375/21 धारा 8/15 एनडीपीएस थाना सरसावा
4. मु0अ0सं0 319/22 धारा 8/15 एनडीपीएस थाना सरसावा
5. मु0अ0सं0 17/2023 धारा 414/411/465 भादवि थाना सरसावा
6. मु0अ0सं0 339/2024 धारा 331(4)/305(A)/317(2)/324(4) बीएनएस थाना सरसावा
7. मु0अ0सं0 277/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा

अभियुक्त फिरोज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 173/17 धारा 504 भादवि थाना सरसावा
2. मु0अ0सं0 339/2024 धारा 331(4)/305(A)/317(2)/324(4) बीएनएस थाना सरसावा
3. मु0अ0सं0 277/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रामबीर सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. है0का0 25 जयप्रकाश सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1128 राजेन्द्र कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



दिनांक: 04.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा एनबीडब्लू वारंटी अभियुक्त रजत पुत्र राजेन्द्र उर्फ माता निवासी देवीकुण्ड के पास शुलभ शौचालय थाना देवबन्द जिला सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं0 188/2018 व मु0अ0सं0 1450/2018 धारा 354ए/452/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट (मा0 न्यायालय ADJ /SPECIAL JUDGE (POCSO) NO-14 SAHARANPUR नियत दिनांक 04.11.2024 में थाना क्षेत्र देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रजत पुत्र राजेन्द्र उर्फ माता निवासी देवीकुण्ड के पास शुलभ शौचालय थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ0नि0 श्री राजन पुण्डीर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
- 2- का0 2358 तरुण कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
- 3- का0 1980 योगेश कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 04.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मोबाइल फोन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 02.11.2024 को वादी श्री सुशील शर्मा पुत्र धर्मदत्त निवासी शारदा नगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी का मोबाइल रेडमी AT पल्स आसमानी रंग चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 639/24 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नकबजनी/चोरी/लूट आदि घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 03.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए **02 अभियुक्तगण 1.सन्नी कर्णवाल पुत्र चमन लाल निवासी चुन्हेटी गाडा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर व 2. दीपक कुमार उर्फ दीदी पुत्र चमन लाल निवासी चुन्हेटी गाडा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर** को आईटीसी लोडिंग गेट की तरफ से गिरफ्तार किया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी गया मौवाईल बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा /317(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. सन्नी कर्णवाल पुत्र चमन लाल निवासी चुन्हेटी गाडा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. दीपक कुमार उर्फ दीदी पुत्र चमन लाल निवासी चुन्हेटी गाडा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

अभियुक्त दीपक उर्फ दीदी का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 365/19 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली देहात स0पुर।
2. मु0अ0सं0 65/15 धारा 4/25आर्मस एक्ट व 398/401 भादवि थाना रामपुर मनिहारन स0पुर।
3. मु0अ0सं0 382/19 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना रामपुर मनिहारन स0पुर।
4. मु0अ0सं0 61/22 धारा 2/3 गैंगस्टर थाना सदर बाजार सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 185/21 धारा 4/25आर्मस थाना सदर बाजार जनपद स0पुर।
6. मु0अ0सं0 225/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सदर बाजार जनपद स0पुर।
7. मु0अ0सं0 286/23 धारा 392/411 भादवि थाना सदर बाजार जनपद स0पुर।
8. मु0अ0सं0 467/24 धारा 304(2) / 317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 546/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना सदर बाजार जनपद स0पुर
10. मु0अ0सं0 657/21 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार जनपद स0पुर।
11. मु0अ0सं0 33/23 धारा 365 भादवि थाना सरसावा जनपद स0पुर।
12. मु0अ0सं0 167/19 धारा 379/411 भादवि थाना सरसावा जनपद स0पुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. है0का0 660 कपिल थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. है0का0 753 अमरपाल थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. का0 947 शान्तनु थाना सदर बाजार सहारनपुर।



दिनांक -04.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 फर्जी दरोगा को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 03.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 फर्जी दरोगा/अभियुक्त मौ० शादाब उर्फ अमन पुत्र शौकत अली निवासी राजन लाईट मो० ढोलीखाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को मण्डी समिति रोड थाना मण्डी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से दरोगा की वर्दी, पुलिस मोनोग्रामम,शौल्डर बैज, स्टार व पी-कैप का ताज आदि सामान बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मण्डी पर मु०अ०सं० 431/2024 धारा 205 बीएनएस के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त मौ० शादाब उर्फ अमन उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं वर्दी पहनकर अवैध तरीके से पैसे लोगो को डरा धमकाकर पैसे ले लेता हूं और अपने शौक के लिए वीडियो भी बना लेता हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मौ० शादाब उर्फ अमन पुत्र शौकत अली निवासी राजन लाईट मोहल्ला ढोलीखाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 पुलिस वर्दी
- 01 पुलिस वर्दी मोनोग्राम व शोल्डर बैज स्टार
- 01 पी-कैप का ताज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ०नि० श्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
- 2- का० 1039 शोएब मिर्जा थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
- 3- का० 1029 नितिन तोमर थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर



दिनांक: 04.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.11.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त वारण्टी **अभियुक्त नजर अहमद पुत्र हाजी नजीर निवासी गोटेशाह गली न0 -07 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0-834/2019 व मु0अ0सं0-298/19 धारा 135 ई-एक्ट चालानी थाना मण्डी स0पुर नियत दिनांक 04.11.2024 (मा0न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष नं0- 4 स0पुर) में थाना मण्डी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नजर अहमद पुत्र हाजी नजीर निवासी गोटेशाह गली न0-07 थाना मण्डी, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 672 प्रदीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 1600 मनोज आर्य थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 04.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, कब्जे से 18 बोतल देशी

शराब माल्टा मार्का हरियाणा बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशा तस्कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.11.2024 को चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण **1.असजद पुत्र इस्लाम 2.उस्मान पुत्र मतलूब निवासीगण ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** को पंजनिया पुलिया के पास से गिरफ्तार किया, कब्जे से 18 बोतल देशी शराब माल्टा मार्का हरियाणा बरामद की गई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 184/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि हम लोग हरियाणा राज्य से सस्ते दामों में शराब खरीदकर लाते हैं और यहाँ आकर ट्रक चालकों को महंगे दामों में शराब बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.असजद पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
- 2.उस्मान पुत्र मतलूब निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

अभियुक्त उस्मान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 256/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 184/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

➤ 18 बोतल देशी शराब माल्टा मार्का हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 भूपेश थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 राजेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 32 गौरव भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 बलवीर सिंह आबकारी विभाग सहारनपुर
5. है0का0 प्रदीप आबकारी विभाग सहारनपुर।



दिनांक - 04.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा महिला से बैग छिनैनी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 झपटामार/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटा गया बैग सामान सहित बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 26.10.2024 को वादिया श्रीमती उमा विश्वकर्मा पत्नी आशू विश्वकर्मा निवासी गोपाल नगर बहादूर कालोनी नुमाइस कैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दो अज्ञात लडको द्वारा वादिया के हाथ से बैग (जिसमें पेन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम व 2000 रू० थे) छिन कर भाग जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना हाजा पर मु०अ०सं० 277/24 धारा 304(2) बी०एन०एस० पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु हेतु दिशा-निर्देश दिए गये थे। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में महिला से बैग छिनैनी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 झपटामार/अभियुक्तगण 1. उस्मान उर्फ चाँद पुत्र कालू अहमद निवासी रहमानी चौक गली नं० 6 थाना कोतवाली देहात सहारनपुर, 2. शोएब उर्फ टोरू पुत्र नाजिम निवासी रहमान चौक गली नं० 7 थाना कोतवाली देहात सहारनपुर हाल पता ग्राम करौंदी पंचायत भवन के सामने थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) व 3. आदिल पुत्र मौहम्मद चाँद निवासी संजय बिहार कालोनी बेहट रोड थाना मण्डी सहारनपुर व मूलपता मौहल्ला खालापार हड़्डी गोदामो के पीछे खालापार थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर को एसबीडी अस्पताल पीछे सडक पर ट्यूबैल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन रंग काला ओपो कम्पनी MODEL-CPH2494, 01 पर्स, 01 अदद वोटर आईडी कार्ड नं०-ACP1809607, 01 पैस कार्ड नं०-AGZPU3302L व 780 रुपये बरामद साथ ही 01 अदद मोटरसाइकिल (सुजुकी हयाते) को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 317/(2) बी०एन०एस० की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग अपने शौक पूरा करने के लिए सुनसान स्थान पर अकेली बुजुर्ग महिलाओं से मौका देखकर छिना झपटी करके भाग जाते हैं और जो पैसा मिलता है उससे अपने शौक पूरा करते हैं। तारीख याद नहीं है पर पिछले महिने भी हम लोगो ने एक महिला से बैग छिन लिया था और भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. आदिल पुत्र मौहम्मद चाँद निवासी संजय बिहार कालोनी बेहट रोड थाना मण्डी सहारनपुर व पूर्व का पता मौहल्ला खालापार हड़्डी गोदामो के पीछे खालापार थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर
2. उस्मान उर्फ चाँद पुत्र कालू अहमद निवासी रहमानी चौक गली नं० 6 थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

3. शोएब उर्फ टोरु पुत्र नाजिम निवासी रहमान चौक गली न0 7 थाना कोतवाली देहात सहारनपुर हाल पता केयर ऑफ शमीम पुत्र हनीफ निवासी ग्राम करौदी पंचायत भवन के सामने थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

बरामदगी का विवरण:-

- 780 रुपये नकद
- 01 अदद मोबाइल फोन रंग काला ओपो कम्पनी MODEL-CPH2494
- 01 पर्स
- 01 अदद वोटर आईडी कार्ड नं0- ACP1809607
- 01 अदद पैन कार्ड नं0- AGZPU3302L
- 01 अदद मोटर साइकिल सुजुकी हयाते न0 DL8SBJ-1976 (सीज शुदा)

अभियुक्त आदिल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 185/2018 धारा 379 भादवि थाना कु0शेर, स0पुर
- 2- मु0अ0सं0 222/2018 धारा 379/411 भादवि थाना कु0शेर, स0पुर
- 3- मु0अ0सं0 225/2018 धारा 379/411/420/467/468/471 भादवि थाना कु0शेर, स0पुर
- 4- मु0अ0सं0 262/2018 धारा 379/411/420/467/468/471 भादवि थाना कु0शेर, स0पुर
- 5- मु0अ0सं0 277/2018 धारा 379 भादवि थाना कु0शेर, स0पुर
- 6- मु0अ0सं0 286/2048 धारा 379 भादवि थाना कु0शेर, स0पुर
- 7- मु0अ0सं0 288/2018 धारा 120बी/411/420/467/468/471 भादवि थाना कु0शेर, स0पुर
- 8- मु0अ0सं0 657/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कु0शेर, स0पुर
- 9- मु0अ0सं0 319/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना को0देहात, स0पुर
- 10- मु0अ0सं0 124/2023 धारा 147/323/427/452/504/506 भादवि थाना मण्डी, स0पुर
- 11- मु0अ0सं0 277/2024 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना जनकपुरी, स0पुर

अभियुक्त उस्मान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 202/2022 धारा 392/411 भादवि थाना को0नगर, स0पुर
- 2- मु0अ0सं0 428/2022 धारा 392/411 भादवि थाना सदर बाजार, स0पुर
- 3- मु0अ0सं0 429/2022 धारा 414 भादवि थाना सदर बाजार, स0पुर
- 4- मु0अ0सं0 277/2024 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना जनकपुरी, स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री यशपाल सोम, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. कां0 2552 विकास कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. कां0 2343 संदीप कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।



दिनांक: 04.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मारपीट-गाली गलौच व एससी/एसटी एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 28.10.2024 को वादी श्री मोन्टी पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. फरमान पुत्र जुल्फान, 2. फरहान पुत्र जुल्फान, 3. सद्दाम पुत्र शफीक निवासी गण ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर व 4. राकिब पुत्र मुकर्रम निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर द्वारा वादी के परिवारीजनों के साथ मारपीट कर गाली-गलौच करने व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 184/24 धारा 115(2)/352/110/351(3) बीएनएस व 3(2)5क/3(1)(द)(ध) एससी/एसटी एक्ट के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वांछित **अभियुक्त फरमान पुत्र जुल्फान निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को कासमपुर पुलिस से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फरमान पुत्र जुल्फान निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर सहारनपुर
2. हेका0 32 गौरव भाटी थाना मिर्जापुर सहारनपुर



दिनांक: 04.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित वारण्टी अपराधियों / की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.11.2024 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा एक नफर वारण्टी **अभियुक्त सुधीर पुत्र मेजपाल नि0 ग्राम टिकरौल थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को संबंधित वाद सं0 2529/18 व मु0अ0सं0 141/18 धारा 60 आब0 अधि0 चालानी थाना नानौता (मा0 एसीजे(जेडी)/जेएम देवबंद सहारनपुर) में ग्राम टिकरौल से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त को विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सुधीर पुत्र मेजपाल नि0 ग्राम टिकरौल थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 667 बिशम्बर सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. का0 1087 रवि चौहान थाना नानौता जनपद सहारनपुर